आवश्यक/तत्काल

संख्या: 36 /2020/ 1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2020

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के अनुपालन में कृषक सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या: 1633/12-2-2020-14/2016 दिनांक 13 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 1645/12-2-2020-14/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों के अनुपालन में 274 कृषक सहकारी समितियों, 126 गन्ना समितियों तथा 500 ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

2. उक्त निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदेश में दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक 117 गन्ना समितियों, 270 सहकारी समितियों तथा 400 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है (प्रति संलग्न)। अभी तक जनपद झांसी, महराजगंज एवं लखीमपुर में पंचायतों का निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष आंशिक चयन हुआ है तथा जनपद फतेहपुर, बस्ती, बांदा, श्रावस्ती, गाजीपुर, महोबा, फर्रूखाबाद, अयोध्या, ललितपुर, कासगंज एवं फिरोजाबाद में ग्राम पंचायतों के चयन की कार्यवाही नहीं हुई है। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है।

3. जिन जनपदों में चयन की कार्यवाही हो चुकी है, उनमें मात्र जनपद हापुड, हरदोई, रामपुर एवं सहारनपुर जनपदों में ही यंत्रों के क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। अन्य जनपदों में यंत्रों के क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि यंत्रों के क्रय की कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण की जानी है। अन्यथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्र के अनुसार कार्यवाही अपूर्ण रह जायेगी और प्रदेश को अन्यथा की स्थिति का सामना करना पड सकता है।

4. प्रदेश सरकार द्वारा यंत्रों के क्रय हेतु कम्पनियों का इम्पैनलमेंट करते हुए यंत्रों के दर निर्धारित किए जा चुके हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समितियॉ एवं ग्राम पंचायत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इम्पैनल्ड कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी से यंत्र क्रय करने के लिए स्वतंत्र है। इम्पैनल्ड कम्पनियों की सूची, यंत्रों के विवरण एवं उसकी निर्धारित दरें कृषि विभाग के वेबसाइट www.upagriculture.com पर उपलब्ध है।

5. अत: आपसे अपेक्षा है कि अपने स्तर पर तत्काल समीक्षा करते हुए जिन जनपदों में अभी तक पंचायतों का चयन नहीं किया गया है, वहॉ के जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करें कि वे तत्काल आपके स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन कराकर पंचायतों की सूची समस्त विवरणों के साथ कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन जनपदों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा 80 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, वहॉ समितियों/पंचायतों का अंश सम्मिलित कराते हुए यंत्रों के क्रय की कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण करायी जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या:36/2020/1926(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/ गन्ना विभाग/सहकारिता विभाग/पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।